राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 3(1)साप्र/2/16 पार्ट जयपुर, दिनांक : 13-4-2017

–: आदेश :–

श्री ओटाराम चौधरी, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहकारिता विभाग, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरीयता संख्या 71/2016 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2040 है, के आधार पर उनके निवास हेतु तृतीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या III/77, गांधीनगर, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 1329/मिनि./जीएडी/2017 दिनांक 30.3.2017 के क्रम में।
2. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, खण्ड तृतीय, मुख्यालय जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 वि0, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर वि0वि0निगम लि0, वृत्त गांधीनगर, रामबाग सर्किल, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
12. श्री ओटाराम चौधरी, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहकारिता विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/16 जयपुर, दिनांक : 13-4-2017

–: आदेश :–

श्री चेतन कुमार सैन, लिपिक ग्रेड–II, कार्यालय उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर जिनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 1/2017 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.5.2057 है। श्री चेतन कुमार सैन के पिता श्री ओमप्रकाश सैन जमादार, कृषि विभाग जयपुर की राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 13.9.2016 को राजकीय आवास में रहते हुए मृत्यु होने एवं श्री चेतन कुमार सैन को राज्यसेवा अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उनके पिता के नाम आवंटित राजकीय आवास एच–4, एमआरईसी क्वार्टर गांधीनगर जयपुर का उनके नाम राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम–17 एवं 27 के प्रावधान अन्तर्गत पात्रता अनुसार (आउट ऑफ टर्न) के आधार पर निम्नानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 44/एम/जीएडी/17 दिनांक 24.3.2017 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, उद्यान पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय,जयपुर शहर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटौती को सुनिश्चित करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
9. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
11. श्री चेतन कुमार सैन, लिपिक ग्रेड–II, कार्यालय उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर कर इस विभाग को सूचित करावें।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 3(1)साप्र/2/16 पार्ट जयपुर, दिनांक : 13-4-2017

–: आदेश :–

श्री प्रवीण कुमार, सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरीयता संख्या 48/2016 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2045 है, के आधार पर उनके निवास हेतु तृतीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या 1/III/ए (प्रथम तल), बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर का राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता हैः–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. श्री प्रवीण कुमार, सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन जयपुर से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/–(अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस रूपये मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होगें।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 138/मिनि./जीएडी/2017 दिनांक 30.3.2017 के क्रम में।
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इनके वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, खण्ड तृतीय, मुख्यालय जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 वि0, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर वि0वि0निगम लि0, वृत्त गांधीनगर, रामबाग सर्किल, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
11. श्री प्रवीण कुमार, सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक 13-4-2017

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित किये जाते हैं :-

क.सं.	वरीयता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	26/2012	श्री सांवरमल संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान	II/19 (प्रथम तल), गांधीनगर	30.06.2032
2	17/2013	श्री नारायण लाल पालीवाल उप निदेशक (समन्वय) आयोजना विभाग शासन सचिवालय जयपुर	एम-6 (प्रथम तल), गांधीनगर	29.02.2031
3	20/2013	श्री सतीश कुमार मुख्य लेखाधिकारी नागरिक विमानन निदेशालय, जयपुर	II/36 (प्रथम तल), गांधीनगर	30.06.2033
4	26/2013	डॉ सुनीता मीणा सहायक आचार्य निश्चेतना विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं महाविद्यालय, जयपुर	एन-18 (प्रथम तल), गांधीनगर	31.08.2043
5	28/2013	श्री बालेन्द्र पाण्डेय उप विधि परामर्शी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	II/65 (द्वितीय तल), एवीएस गांधीनगर	31.01.2020
6	37/2013	डॉ0 मनीष शुक्ला मुख्य लेखाधिकारी, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान	II/26 (प्रथम तल), गांधीनगर	28.02.2038
7	41/2013	श्री महेन्द्र सिंह हाडा सहायक आचार्य नाक, कान, गला विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	1/6 (द्वितीय तल), हीराबाग	30.06.2038
8	44/2013	डॉ0 (श्रीमती) रिंकु सैनी सहायक आचार्य पिडियॉट्रिक मेडिसिन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	2/5 (द्वितीय तल), हीराबाग	31.08.2042
9	63/2013	श्री वीरेन्द्र कविया उपनिदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	एन-16 (प्रथम तल), गांधीनगर	28.02.2020

<u>शर्ते :-</u>

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।
9. कम संख्या 5 पर अंकित अधिकारी श्री बालेन्द्र पाण्डेय, उप विधि परामर्शी से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. शासन सचिव, कार्मिक/आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/आयोजना/वित्त (राजस्व)/विधि विभाग/चिकित्सा शिक्षा/कला एवं संस्कृति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. नियत्रंक एवं प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग/नागरिक विमानन/पुरातत्व एवं संग्रहालय को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. वरिष्ठ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, नाक, कान, गला विभाग/शिशु औषध/एनेस्थिसिया विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
9. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
10. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, खण्ड द्वितीय/तृतीय, मुख्यालय जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 वि0, जलपथ, हीराबाग/गांधीनगर, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर वि0वि0निगम लि0, वृत्त गांधीनगर/हीराबागरामबाग सर्किल, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर/हीराबाग, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
16. संबंधित आवंटीगण ....
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव